भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या **310***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

बागपत में मृदा उर्वरता

310*. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागपत जिले में किसानों द्वारा यूरिया का अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण मृदा उर्वरता में गिरावट की समस्या का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा किसानों के लिए कौन-कौन से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा वैकल्पिक उर्वरकों के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बागपत में जैविक और जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;
(घ) यदि हां, तो उर्वरकों के वितरण को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने तथा किसानों को उनके उचित उपयोग हेतु मार्गदर्शन देने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार ने बागपत में मृदा की स्थिति के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'बागपत में मृदा उर्वरता' के संबंध में डा.राजकुमार सांगवान द्वारा पूछे गए दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.310* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत, भारत सरकार द्वारा 75 जिलों में 94,300 हेक्टेयर को कवर करने वाले कुल 1,886 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें वर्ष 2024-25 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बागपत जिले में 500 हेक्टेयर में फैले 10 क्लस्टर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) स्कीम की एक उप-स्कीम, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना (एनपीएसएचएफ) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार बागपत जिले में ब्लॉक स्तर पर किसान परामर्शी सेवा संचालित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बागपत ज़िले में 70 ग्राम पंचायतों ने इस परामर्शी सेवा का लाभ उठाया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार देश में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम कार्यान्वित कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार लाने के लिए ऑर्गेनिक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषकतत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। इस स्कीम के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए मृदा परीक्षण, उर्वरकों/जैव-उर्वरकों और ऑर्गेनिक उर्वरकों हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, सूक्ष्म पोषकतत्वों को बढ़ावा देने और मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने जैसी विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित की जाती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करता है और मृदा स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उपयुक्त खुराक की सिफारिश करता है। इस स्कीम के तहत उपलब्धि निम्नानुसार है:

देश में, अब तक 24.84 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर 7 लाख प्रदर्शनियां, 93,781 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम और 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों को परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं। इसके अलावा, 70,002 कृषि सखियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड परामर्शिकाएं जारी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) एवं (घ): राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) ने सूचित किया है कि सरकार ने बागपत जिले सहित देश में किसानों द्वारा यूरिया के उपयोग पर निर्भरता को कम करने के लिए जैव-उर्वरकों और ऑर्गेनिक विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i. राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ): ऑर्गेनिक और जैव उर्वरकों के उपयोग सहित रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना।
ii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना।

iii. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी): पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों अर्थात् बायोमास मल्चिंग पर विशेष बल देते हुए ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग, गाय के गोबर-गौमूत्र सूत्रीकरणों का उपयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी कृत्रिम रासायनिक आदानों को छोड़कर पादप आधारित सामग्री आदि को बढ़ावा देना।

iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर): उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिये मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादन का विकास और आदान, बीज, प्रमाणन से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चल रहे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, वे बागपत जिले में जैव-उर्वरक स्कीम के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए, जैव-उर्वरकों के लगभग 10,530 पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) का उत्पादन करने के लिए एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट साल्युबीलाइजिंग बैक्टीरिया और राइजोबियम प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, और फिर इन पैकेटों को स्रोत पर सब्सिडी (उत्पादन लागत का 75 प्रतिशत) के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में, किसानों द्वारा यूरिया और डीएपी के स्थान पर जैव-उर्वरक और ऑर्गेनिक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बागपत जिले के किसानों द्वारा 16,032 बोतल नैनो यूरिया, 7,467 बोतल नैनो डीएपी और 1,390 बोतल जैव उर्वरक (500 मिलीलीटर) का उपयोग किया गया है।

भारत सरकार ने किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम), फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1,500 रु/मी टन की दर से बाजार विकास सहायता के प्रावधान को अनुमोदित किया है।

(ङ.): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बागपत जिले में मृदा की स्थिति के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

******